न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), सिवाना

पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :—266/2025

प्रार्थी:—

भगवती पुत्री जेठाराम जाति पुरोहित निवासी मायलावास तहसील सिवाना जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थी:—

1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा
2. शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक शाखा मोकलसर

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.रा.अधिनियम हेतु दुरूरती</u>

उपस्थित :—

श्री किशोरीलाल सोनी व आयुष सोनी अधिवक्ता प्रार्थीनी

—:: आदेश ::—

दिनांक :— 14.01.2026

प्रार्थीनी द्वारा उक्त आवेदन पत्र रा.भू.अ. की धारा 136 के तहत पेश किया गया है, संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीनी की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 2058 व 2060 रकबा क्रमशः 04.0624 व 1.7668 हैक्टेयर भूमि ग्राम मोकलसर तहसील सिवाना तथा खसरा संख्या 1072, 863 व 864 रकबा क्रमशः 7.8647, 0.0423 व 2.6560 हैक्टेयर भूमि ग्राम महिलावास तहसील सिवाना में अवस्थित है उक्त भूमियों मे प्रार्थीनी का नाम "भाडी पुत्री जेठाराम" दर्ज कर दिया, जबकि प्रार्थीनी के समस्त सरकारी व गैर सरकारी दस्तावेजात यथा नामान्तरण आवेदन पत्र, आधार कार्ड व जनआधार कार्ड में प्रार्थीनी का वास्तविक नाम "भगवती पुत्री जेठाराम" दर्ज है इस प्रकार प्रार्थीनी का नाम का अशुद्ध अंकित होने से प्रार्थीनी अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। अतः प्रार्थीनी का नाम राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा) सत्यमेव जयते

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थी की तलबी की गई। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रार्थीनी के वास्तविक नाम के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की गई। प्रार्थीनी ने अपने आवेदन पत्र के समर्थन में नामान्तरण आवेदन पत्र, आधार कार्ड व जनआधार कार्ड आदि प्रस्तुत किये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.03.28 13:10:08 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीनी अधिवक्ता की बहस सुनी ।

प्रार्थीनी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थीनी का वास्तविक नाम "भगवती पुत्री जेठाराम" है, किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा विवादित भूमि खसरा संख्या 2058 व 2060 रकबा क्रमशः 04.0624 व 1.7668 हैक्टेयर भूमि ग्राम मोकलसर तहसील सिवाना तथा खसरा संख्या 1072, 863 व 864 रकबा क्रमशः 7.8647, 0.0423 व 2.6560

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

हैक्टेयर भूमि ग्राम महिलावास तहसील सिवाना में प्रार्थीनी का नाम ''भाडी पुत्री जेठाराम'' त्रुटिवश लिख दिया जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। इस प्रकार दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने से प्रार्थीनी अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थीनी राजस्व रिकार्ड में अपना शुद्ध व सही नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

हमने प्रार्थीनी के अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थीनी के नामान्तरण आवेदन पत्र, आधार कार्ड व जनआधार कार्ड आदि दस्तावेजात में प्रार्थीनी का नाम ''भगवती पुत्री जेठाराम'' दर्ज है, किन्तु विवादित भूमियों में प्रार्थीनी का नाम ''भाडी पुत्री जेठाराम'' करने से राजस्व रिकार्ड में अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से भी प्रार्थीनी का वास्तविक नाम ''भगवती पुत्री जेठाराम'' होने की पुष्टि होती है। ऐसी सूरत मे प्रार्थीनी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खसरा संख्या 2058 व 2060 रकबा क्रमशः 04.0624 व 1.7668 हैक्टेयर भूमि ग्राम मोकलसर तहसील सिवाना तथा खसरा संख्या 1072, 863 व 864 रकबा क्रमशः 7.8647, 0.0423 व 2.6560 हैक्टेयर भूमि ग्राम महिलावास तहसील सिवाना के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थीनी का नाम ''भाडी पुत्री जेठाराम ''के स्थान पर ''भगवती उर्फ भाडी पुत्री जेठाराम'' दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिवाना को तदनुसार दुरूस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 14.01.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
सिवाना (बालोतरा)

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.03.28 13:10:08 IST
Reason: SelfAttested